

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1328/2010/उदयपुर.
2. अपील संख्या - 1329/2010/उदयपुर.

मैसर्स कोट सीड्स कॉर्पोरेशन, 10 कृषि मण्डी यार्ड, उदयपुर.अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अजमेर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील अग्रवाल, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 2/6/2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 133 व 134/RST/Remand/09-10 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 25.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, अजमेर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित की गई शास्तियों के सम्बन्धित आदेशों दिनांक 11.10.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 9.10.2001 को नसीराबाद-दिलवाड़ी मार्ग पर वाहन संख्या क्रमशः डी.एल.-1जी.ए./5441 व डी.एल.-1जी.ए./7353 को चैक करने पर वाहनों में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी, तुलाई पर्ची व भाड़ा चिट्ठी प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन में करमुक्त पशु आहार का परिवहन किया जा रहा है, जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन किये जाने पर वाहन में 'बिनाला खल' का परिवहन किया जाना पाया गया, जो कि तत्समय 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल था। अतः दस्तावेजों में करयोग्य माल को करमुक्त दर्शाते हुए करापवंचन की मंशा

लगातार.....2

से गलत घोषणा के आधार पर माल का परिवहन किये जाने में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिसों की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब से असहमत होते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा दोनों वाहनों के लिये अलग-अलग आदेश अन्तर्गत धारा 78(5) दिनांक 11.10.2001 पारित करते हुए शास्ति क्रमशः रूपये 40,005/- व रूपये 39,867/- का आरोपण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2002 से अस्वीकार की गईं, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से पेश की गयी अपीलें राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 19.7.2003 द्वारा अस्वीकार की गईं। कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई सिविल रिवीजन संख्या 913/2003 व 529/2005, माननीय उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम देव ट्रेडिंग कम्पनी की सिविल एस.बी. रिवीजन संख्या 555/2003 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2007 में पारित निर्णय के अनुसरण में, पुनः निर्णय पारित करने हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में पुनः सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2010 से अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गईं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित वादों में अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी के आदेशों की पुष्टि कर विधिक भूल की है। बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित माल यद्यपि पशु आहार के बिल के साथ परिवहनित किया जा रहा था, लेकिन बिल में करमुक्त घोषित नहीं किया गया था तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में माल की बिक्री के बिल में केन्द्रीय बिक्री कर अलग से दर्शाना आवश्यक नहीं है, बल्कि शामिल (Inclusive) होता है। इस विक्रय पर अपीलार्थी ने कर भी जमा करा दिया है। इसलिए गलत घोषणा के आधार पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

लगातार.....3

अग्रिम कथन किया कि जिन्सों का वर्गीकरण (Classification) माल के परिवहनरत रहते निर्धारित करना जांच अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। बल्कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 5.5.2009 अपील संख्या 330/2008 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम श्रीराम ऑयल व अपील संख्या 611/2005 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान स्टोन आर्टिकल्स निर्णय दिनांक 29.11.2005 का हवाला दिया।


विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति इस आधार पर आरोपित की गई है कि बिल में 'खली पशु आहार' लिखा गया है। कपासिया खली राज्य में करयोग्य है तथा पशु आहार करमुक्त है। इस आधार पर सक्षम अधिकारी ने माल की गलत घोषणा मानते हुए शास्ति आरोपित की है। बिल में माल के करमुक्त होने का कोई संकेत नहीं है, बल्कि व्यवहारी ने इस कर योग्य माल पर कर भी जमा करा दिया है। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होते हुए भी अपीलीय अधिकारी ने उसकी पुष्टि कर विधिक भूल की है। अतः अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कपासिया खली का परिवहन किया जा रहा था, जबकि बिल में केवल खली व आगे पशु आहार अंकित किया गया है। पशु आहार राज्य में करमुक्त होने के कारण व्यवहारी ने जानबूझकर बिलों में खली पशु आहार अंकित करते हुए माल अन्तर्राज्यीय व्यवहार में परिवहनित किया है। यह गलत घोषणा होने के कारण अधिनियम की धारा 78(4) का अभियोग होने की स्थिति में धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी उचित ठहराया है। कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी (2000) 6 एस.टी.टी. 156 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-द्वितीय, वृत्त-सी, जोधपुर बनाम मैसर्स सविता केमिकल्स लिमिटेड में समान तथ्यों वाले प्रकरण में माल की गलत घोषणा को शास्ति आरोपण हेतु उचित निर्णीत किया है। अतः अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरणों के तथ्यानुसार व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर अन्तर्राज्यीय वाणिज्य व्यवहार में माल कपासिया खली का विक्रय किया गया है, जो कि कर योग्य माल है, लेकिन बिलों में 'खली पशु आहार' के नाम से माल का विवरण अंकित किया है तथा बिल्टियों पर "will be used only for cattle feed" अंकित

किया है, जो कि व्यवहारी की माल को करमुक्त विक्रय करने की मंशा स्पष्ट करता है, इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(4) का अभियोग कारित होने के कारण उपधारा (5) के तहत शास्तियां आरोपित की थी, जिसकी अपीलीय अधिकारी तथा कर बोर्ड द्वारा भी निर्णय दिनांक 16.7.2002 में पुष्टि की गई थी। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिविजन नं० 520/05 व 913/2003 दायर करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिविजन नं० 555/2003 निर्णय दिनांक 5.9.2007 में प्रकरणों को शिड्यूल 'बी' व 'सी' में शुमार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये। अपीलीय अधिकारी ने पुनः गलत घोषणा के आधार पर शास्तियों को विधिसम्मत होना निर्णीत किया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर बोर्ड के उद्धरित निर्णयों के आधार पर शास्ति आरोपण को अविधिक बताया है, लेकिन दोनों निर्णय तथ्यों की भिन्नता के कारण लागू नहीं होते हैं। अपील संख्या 611/2005/दौसा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान स्टोन आर्टिकल्स में विवाद का बिन्दु Sand Stone Columns हस्तशिल्प वस्तुएं होने के कारण करमुक्त/करयोग्य सम्बन्धी जांच के अभाव में शास्ति अविधिक निर्णीत की है। दूसरे प्रकरण अपील संख्या 330/2008/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम श्रीराम ऑयल एण्ड केमिकल्स निर्णय दिनांक 5.5.2009 में खल वर्ष 2004 में कुछ अवधि में करमुक्त होने व बाद में करयोग्य करने की स्थिति में खल की गलत घोषणा नहीं मानी जाकर करापवंचन की मंशा के अभाव में शास्ति अपास्त की है। इसलिए दोनों उद्धरित निर्णय अपीलार्थी को सहायभूत नहीं हैं।


प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2000) 6 एस.टी.टी. 156 उद्धरित किया है, जिसमें विवाद का बिन्दु परिवहनित माल Exp.40 का बिल में वर्णन 'demitsu diesel Exp. S.E. 40 अंकित किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय ने गलत घोषणा अवधारित करते हुए विभाग की अपील को स्वीकार किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में वर्णित तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के सदृश हैं। प्रस्तुत प्रकरण में कर योग्य माल कपासिया खली का परिवहन खली पशु आहार के रूप में किया जा रहा था, जो स्पष्टतया गलत घोषणा की श्रेणी में आता है। यह प्रकरण में विवाद माल के वर्गीकरण (Classification) का नहीं है, बल्कि करयोग्य माल की करमुक्त घोषणा का विवाद है। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क को बलहीन होने के कारण अमान्य किया जाता है। अपीलार्थी ने विवादित माल के विक्रय पर कर जमा कराने के सबूत भी प्रस्तुत

 लमातार.....5

किये हैं, लेकिन इस तथ्य से माल की घोषणा पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है। सक्षम अधिकारी ने माल की गलत घोषणा के कारण अधिनियम की धारा 78(4) का अभियोग स्थापित कर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित कर कोई भूल नहीं की है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी उसकी पुष्टि उचित रूप से की है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2010 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
02/06/14